न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती धनुदेवी पत्नि श्री ओटाराम सगरवंशी, जाति-सगरवंशी माली, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 19/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 27 जनवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 59/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.9.2019 बाबत ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का पश्चातवर्ती अतिचार घोषित करते हुए जुर्माना आरोपित करने, मौके से बेदखल करने एवं सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को जवाब, सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। यह कि अपीलाधीन प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.9.2019 नियत थी उस रोज अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 03.10.2019 नियत किया जाना बताया, लेकिन बाद में अपीलार्थी के अधिवक्ता के पीठ पीछे सुनवाई दिनांक 20.9.2019 व 26.9.2019 की गई तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम सिरोही के खसरा

.....पेज दो पर

संख्या 3384 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है तथा न ही उक्त भूमि राजस्व भूमि है, बल्कि उक्त भूमि नगर परिषद् क्षेत्र, सिरोही में स्थित है जिस पर स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र कनीराम जी, जाति- सगरवंशी, निवासी- सिरोही का पुराना कब्जा था तथा उक्त भूमि पर उनका पुराना कच्चा ढालिया व मकान का निर्माण कार्य किया हुआ था। उक्त खसरा नम्बर 3384 की भूमि के पुराने खसरा संख्या 2606/1 है। उक्त भूमि का कब्जा ओटाराम जी द्वारा अपनी पत्नि धनुदेवी पत्नि ओटाराम जी सगरवंशी तथा अपनी पुत्री किरण पुत्री ओटाराम जी सगरवंशी को दिया था जो ओटाराम जी के जीवनकाल से लगातार उक्त भूमि पर काबिज होकर आवासीय उपयोग व उपभोग कर रहे है। अपीलार्थी धनुदेवी ने अपने कब्जे की आवासीय भूमि व मकान को नियमन कराने हेतु नगर परिषद्, सिरोही में आवेदन किया था जिस पर नगर परिषद्, सिरोही द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भूमि के प्रतिफल की राशि प्राप्त कर धनुदेवी पत्नि ओटाराम जी सगरवंशी के हक में भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया गया है जिसके पट्टा विक्रय पत्र संख्या 19, रजिस्टर संख्या 3, पत्रावली संख्या 42, पट्टा नियमन वर्ष 2015 दिनांक 10.7.2015 है। उक्त पट्टा उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीकृत है जिसके पंजीयन संख्या 1445/2015 दिनांक 10.7.2015 है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है, उक्त भूमि आवासीय भूमि है जिस पर विधिक रुप से अपीलार्थी बतौर स्वामी काबिज है, लेकिन हल्का पटवारी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी बताकर गलत कार्यवाही की है। यह कि अपीलार्थी धनुदेवी के विरुद्ध पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने का आदेश पारित किया था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी धनुदेवी द्वारा एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसके अपील संख्या 33/2019 है जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 26.9.2009 को निर्णय होकर अपीलार्थी धनुदेवी का उक्त भूमि पर कब्जा पुराना नियमन योग्य होने से बेदखली आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था, जिसके बाद अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हुई एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया। इस प्रकार, दिनांक 26.9.2009 का निर्णय अंतिम निर्णय रहा है एवं उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नही हुई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि इस प्रकरण से संबंधित भूमि राजस्व भूमि नही है। नगर परिषद्, सिरोही द्वारा पट्टा जारी किये जाने के बाद उक्त भूमि आवासीय भूमि है जिसके संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार, सिरोही को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही था। यह कि नगर परिषद्, सिरोही द्वारा अपीलार्थी धनुदेवी के पक्ष में उक्त भूमि का प्रतिफल राशि लेकर नियमन करते हुए आवासीय पट्टा जारी किया गया है एवं नगर परिषद्, सिरोही द्वारा अपीलार्थी के हक में जारी पट्टा अस्तित्व में है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया है, इस कारण पट्टा शुदा भूमि से बेदखल करने का पारित आदेश विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पट्टे स्वामित्व की भूमि है जिस पर अपीलार्थी अपने पति के समय से लगातार शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही है, अपीलार्थी को विवादित भूमि के मौके से

....पेज तीन पर

पूर्व में कभी भी भौतिक रुप से बेदखल नही किया गया है तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार, अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 1995(2)RBJ Page 460, RRT2003(2)Page 1303, 2011(2)RRT Page 1413, RRT2006(1) Page 661, RBJ(19) 2012 Page 312, RBJ(11)2004 Page 83, RLW 2006(1) Page 158, RRT 2002(2) Page 1300, RBJ 2000(7) Page 25, RBJ 2001(8) 475, RBJ 1996(3) Page 454, 1996(3) RBJ Page 360, RBJ 1996(3) Page 456, RBJ 2016(23) Page 456 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये तथा न ही अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बाद जांच अपीलार्थी का उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही-II द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई तिथि 13.9.2019 को अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये। तत्पश्चात् प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 20.9.2019 व 26.9.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये एवं न ही अपीलार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है। साथ ही, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.02.13 15:41:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: